

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जत.....मुकाम.....  
 रवि.....बनाम.....शिवराज बोस  
 तदमा.....नं.....29 सन 2023

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01 24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/रक्षक/उत्तरदाता/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 29-11-2024 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>Ram</u></p>	
73	<p>01/2024 प्रा.पत्र मिसल तलत कर बाद बादबिग बिगो किये जाने प्रस्तुत होने पर पत्रावली उठाए दिनांक को पेश हुई। प्रा.पत्र बाद बिगो किये जाने बाद स्वीकार किये जाने के कारण मूल बाद बिगो किया जा चुका है। अतः प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्र न्यायालय द्वारा दाय जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.06.2023 इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं निम्नानुसार नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;"><u>one</u></p>	

उप खण्ड अधिकारी  
पीपल (टॉक)

FORM NO. III'

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम.....  
 खनाम..... शिवराज बो  
 नं. 29 सन 2023

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
---	--

01 <sup>20</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/रजिस्ट्री उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में वस्तु/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 29.11.2024 पेश हो।  
Ram

23 <sup>20</sup>/<sub>2024</sub> प्रा.पत्र मिसल तलत कर बाद बाद निदेश विद्वा विद्ये जाने प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। प्रा.पत्र बाद निदेश विद्ये जाने बाद स्वीकार विद्ये जाने के कारण मूल बाद निदेश विद्ये जा चुका है। अतः प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा दाय जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.06.2023 इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं निम्नानुसार नम्बर से कम है।  
me

उप खण्ड अधिकारी  
 पीपल (टॉक)